राजीव कृष्णा,
आई.पी.एस.

डीजी परिपत्र संख्या- 24/2026
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।

दिनांक:लखनऊ:अप्रैल 13 ,2026

विषय: Application U/S 528 BNSS No. 12575/2025 Umme Farva Vs. State of UP & Ors. में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 14.01.2026 के अनुपालन में निर्गत डीजी परिपत्र संख्या-17/2026 दिनांकित 14.03.2026 को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय/महोदया,

कृपया Application U/S 528 BNSS No. 12575/2025 Umme Farva Vs. State of UP & Ors. में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 14.01.2026 के अनुपालन में निर्गत डीजी परिपत्र संख्या-17/2026 दिनांकित 14.03.2026 का संदर्भ ग्रहण करें।

2- विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमिनल) संख्या-1798/2026 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांकित 09.02.2026 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के उपरोक्त संदर्भित निर्णय दिनांकित 14.01.2026 को निम्नवत स्थगित कर दिया है—

> "In the meantime, the directions contained in paragraphs 45 to 48 of the impugned judgment and order dated 14.01.2026 passed by the High Court, shall remain stayed."

3- मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश दिनांकित 09.02.2026 के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्गत डीजी परिपत्र संख्या-17/2026 दिनांकित 14.03.2026 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय

(राजीव कृष्णा)

1. समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उत्तर प्रदेश।
2-अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, उत्तर प्रदेश।
3-समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
4-पुलिस महानिरीक्षक, लोक शिकायत, उत्तर प्रदेश।
5-समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षिक, उत्तर प्रदेश।

ITEM NO.28 COURT NO.13 SECTION II

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A
RECORD OF PROCEEDINGS

Petition(s) for Special Leave to Appeal (Crl.) No(s). 1798/2026

[Arising out of impugned final judgment and order dated 14-01-2026 in AU528BNSS No. 12575/2025 passed by the High Court of Judicature at Allahabad]

MAHMOOD ALAM KHAN Petitioner(s)

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ANR. Respondent(s)

(IA No. 32003/2026 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT AND IA No. 32001/2026 - EXEMPTION FROM FILING O.T.)

Date : 09-02-2026 This matter was called on for hearing today.

CORAM : HON'BLE MR. JUSTICE RAJESH BINDAL
HON'BLE MR. JUSTICE VIJAY BISHNOI

For Petitioner(s) :Mr. Abdul Qadir Abbasi, AOR
Mr. Najmuzzama, Adv.
Mr. Mohd Azam, Adv.
Mr. Arun Chandra Srivastava, Adv.
Mr. Imran Ahmad Abbasi, Adv.

For Respondent(s) :
Ms. Ruchira Goel, AOR
Ms. Ritika Rao, Adv.
Mr. Sharanya Sinha, Adv.

UPON hearing the counsel the Court made the following

O R D E R

Issue notice, returnable on 24.04.2026.

Mr. Ruchira Goel, learned Advocate-on-Record accepts notice on behalf of respondent No.1.

Service of respondent No.2 be effected on taking appropriate steps.

In the meantime, the directions contained in paragraphs 45 to 48 of the impugned judgment and order dated 14.01.2026 passed by the High Court, shall remain stayed.

Signature Not Verified
Digitally signed by DEEPAK SINGH
Date: 2026.02.10
18:15:[illegible] IST
Reason:

(DEEPAK SINGH)
ASTT. REGISTRAR-cum-PS

(AKSHAY KUMAR BHORIA)
COURT MASTER (NSH)

राजीव कृष्णा, IPS
पुलिस महानिदेशक एवं
राज्य पुलिस प्रमुख, उत्तर प्रदेश

डीजी परिपत्र संख्या- 17/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र
सिग्नेचर बिल्डिंग
शहीद पथ, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ – 226002
फोन नं.0522-2724003/2390240, फैक्स नं.0522-272400
सीयूजी नं 9454400101
ई-मेल : police.up@nic.in
वेबसाईट https://uppolice.gov.in

दिनांक:लखनऊ:मार्च 14 ,2026

विषय: Application U/S 528 BNSS No. 12575/2025 Umme Farva Vs. State of UP & Ors. में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 14.01.2026 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में झूठी एफ.आई.आर. लिखाने वाले शिकायतकर्ता तथा झूठी गवाही देने वाले साक्षियों के विरुद्ध परिवाद दाखिल करने हेतु दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

कृपया परिपत्र के साथ संलग्न Application U/S 528 BNSS No. 12575/2025 Umme Farva Vs. State of UP & Ors. में पारित निर्णय दिनांकित 14.01.2026 में मा0 न्यायालय ने झूठे तथ्यों के आधार पर न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की बढ़ती प्रवृत्ति को अत्यंत गम्भीरता से लेते हुये गलत तथ्यों के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने वाले वादी तथा झूठी गवाही देने वाले साक्षियों के विरुद्ध धारा-212 तथा 217 BNS (समतुल्य धारा 177 तथा 182 IPC) के अन्तर्गत विवेचक की ओर से अनिवार्य रूप से परिवाद दाखिल करने हेतु निम्नवत निर्देशित किया गया है—

> 47. The Director General of Police, U.P. is directed to instruct all police officers within the State that, while completing the investigation, if a final report (closure report) exonerating the accused is submitted in the court, then in every case, where the police machinery has been misused by furnishing false, frivolous, or misleading information, a written complaint as per Section 215(1) BNSS (corresponding Section195(1) Cr.P.C.) must be filed before the competent Magistrate/Court of offence mentioned under Section 212 and 217 BNSS (corresponding Section 177 and 182 IPC) against the informant and witnesses of the case crime. Failure to do so will render the purpose of Section 212 and Section 217 BNS (corresponding Section 177 and 182 IPC) redundant and is likely to defeat the legislative intent behind these provisions.
>
> 48. It is further directed that the Director General of Police, U.P., Commissioner of Police, Senior Superintendent of Police, Superintendent of Police to direct all the Investigating Officer, Station House Officer and Forwarding Officer i.e. Circle Officer, Additional S.P., S.P. and Public Prosecutor that in case of final report/closure report filed under section 193 of BNSS (corresponding Section 173 Cr.P.C.), the police shall also submit a report in the form of complaint as prescribed Section 215(1)(a) BNSS (corresponding Section 195(1)(a) Cr.P.C.) referred hereinabove in paragraph no.18 of this order/judgment to the concerned Judicial Magistrate/Court for taking cognizance of offences provided under section 212 and 217 BNS (corresponding sections 177 and 182 of IPC) against informant and witness in case the final report/closure report is accepted and the protest petition is rejected.
>
> 49. Further direction is given to the police authority that if an Investigating Officer does investigation and ultimately found that no offence is made out, he is not only under obligation to submit final report, as per paragraph 122 of the U.P. Police Regulations, but he is also duty bound to submit a written complaint for giving false information to the police under Section 212 and 217 of BNS (corresponding Sections 177 and 182 of IPC) for taking cognizance as provided under section 215(1)(a) BNSS (corresponding Section 195(1)(a) Cr.P.C.) otherwise, the Investigating Officer, Station House Officer and Forwarding Authority i.e. Circle Officer and Public Prosecutor shall be liable of committing offence as mentioned under Section 199(b) BNS (corresponding Section 166A(b) of IPC).

3- मा0 उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक प्रक्रिया के दुरूपयोग को रोकने तथा गलत तथ्यों के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराने वाले वादी मुकदमा तथा झूठी गवाही देने वाले साक्षियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु दिये गये उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन हेतु निम्नवत निर्देश निर्गत किये जा रहे है—

- यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित तथ्य विवेचना के उपरान्त गलत पाये जाते हैं तथा विवेचक द्वारा प्रकरण में अंतिम रिपोर्ट लगाने का निर्णय लिया जाता है तो प्रथम सूचना रिपोर्ट में गलत तथ्य अंकित करने वाले वादी मुकदमा तथा झूठी गवाही देने वाले साक्षियों के विरुद्ध धारा-212 तथा 217 BNS (समतुल्य धारा 177 तथा 182 IPC) के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से परिवाद प्रस्तुत किया जायेगा।
- मा0 न्यायालय द्वारा उपरोक्त संदर्भित आदेश दिनांकित 14.01.2026 के प्रस्तर-48 में यह निर्देशित किया गया है कि विवेचक द्वारा सम्बन्धित न्यायालय में निर्धारित प्रारूप में परिवाद पत्र वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने के उपरान्त प्रस्तुत किया जायेगा, अतः सभी थाना प्रभारी ऐसे मामलों को चिन्हित करते हुये एक रजिस्टर में अंकित करेंगे, जिनमें गलत तथ्यों के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी गयी हो तथा विवेचना के उपरान्त अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी हो। क्षेत्राधिकारी अपने क्राइम रजिस्टर में भी ऐसे प्रकरण के संबंध में टिप्पणी अंकित करेंगे ताकि उनके द्वारा नियमित रूप से इसकी समीक्षा की जा सके।
- मा0 न्यायालय द्वारा वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने तथा अंतिम रिपोर्ट स्वीकार किये जाने की सूचना प्राप्त होते ही मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में परिवाद पत्र सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। कोर्ट पैरोंकारो का यह दायित्व होगा की वह उपरोक्त सूचना थाना प्रभारी को उपलब्ध कराएं। अभियोजन अधिकारी/लोक अभियोजक के स्तर पर समन्वय कर यह सुनिश्चित किया जाए कि मा0 न्यायालय के निर्देशानुसार जहाँ अंतिम रिपोर्ट स्वीकार होती है तथा प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र निरस्त होता है, वहाँ शिकायतकर्ता/गवाहों के विरुद्ध सुसंगत प्राविधानों में संज्ञान हेतु आवश्यक परिवाद पत्र ससमय मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाए।
- ऐसे प्रकरण जिनमें मा0 न्यायालय के समक्ष धारा-175(3) BNSS (समतुल्य धारा-156(3) CrPC) के अन्तर्गत न्यायालय के आदेश के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी हो तथा विवेचना के उपरान्त गलत तथ्यों के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किये जाने का तथ्य संज्ञान में आता है तो ऐसे वादी मुकदमा तथा साक्षियों के विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत करने की कार्यवाही की जायेगी।
- साक्षियों के विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत करते समय यह ध्यान में रखा जायेगा कि उन्हीं साक्षियों के विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत किये जायें, जिनका बयान ई-साक्ष्य के माध्यम से ऑडियो-वीडियो रिकार्ड किया गया हो। परिवाद पत्र के साथ ई-साक्ष्य की रिकार्डिंग को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाए।
- ऐसे प्रकरण जिनमें साक्ष्य न मिलने के कारण अंतिम रिपोर्ट लगायी गयी हो किन्तु वादी मुकदमा द्वारा गलत/झूठी सूचना दिये जाने के तथ्य प्रकाश में न आये हों, ऐसे मामलों में परिवाद प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।
- प्रायः इस प्रकार के प्रकरण भी संज्ञान में आते हैं, जिनमें वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्तों को संदेह के आधार पर नामजद किया जाता है अथवा घटना को बढ़ाचढ़ाकर अंकित कराया जाता है। विवेचना के दौरान नामजद अभियुक्तों में से कुछ या सभी की नामजदगी गलत हो

.....3

सकती है तथा घटना जैसी की प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित है उतनी गम्भीर नहीं होती। ऐसी दशा में पर्यवेक्षण अधिकारी स्तर पर यह मत स्थिर किया जायेगा कि क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट में साशय (Intentionally) किसी को परेशान करने के लिये झूठे तथ्य अंकित किये गये हैं या किसी को झूठा नामजद किया गया है। यदि वादी मुकदमा द्वारा साशय (Intentionally) प्रथम सूचना रिपोर्ट में गलत तथ्य अंकित करना पाया जाये तभी वादी मुकदमा के विरुद्ध पर्यवेक्षण अधिकारी की संस्तुति के उपरान्त परिवाद प्रस्तुत करने की कार्यवाही की जायेगी।

- परिवाद पत्र तैयार करने एवं मा0 न्यायालय में प्रस्तुत कराने की कार्यवाही सम्बन्धित न्यायालय में तैनात लोक अभियोजक/सहायक लोक अभियोजक के सहयोग से और उनके माध्यम से ही की जायेगी।
- वादी मुकदमा तथा साक्षियों के विरुद्ध परिवाद संस्थित कराने में पर्याप्त सतर्कता बरती जाये जिससे पीड़ित अपने प्रति हुये अपराध की सूचना पुलिस को देने तथा साक्षी घटना के सम्बन्ध में अपना बयान पुलिस को देने के प्रति उदासीन न हो जाएं।
- मा0 उच्च न्यायालय द्वारा भविष्य में अपने इस आदेश के अनुपालन की स्थिति से अवगत कराने हेतु आदेश दिया जा सकता है, अतः इन निर्देशों के अनुपालन में की जा रही कार्यवाही का समुचित अभिलेखीकरण तथा अनुश्रवण की व्यवस्था पर्यवेक्षणी स्तर पर सुनिश्चित की जाये। समस्त पुलिस उपायुक्त तथा जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक आदेश के अनुपालन की मासिक समीक्षा करेंगे। जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन की त्रैमासिक समीक्षा करते हुए आदेश का अनुपालन कराना सुनिश्चित करायेंगे।

5- अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांकित 14.01.2026 के अनुपालन में दिये गये उपरोक्त निर्देशों से समस्त विवेचकों तथा पर्यवेक्षण अधिकारियों को अवगत कराते हुए इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करायें। यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा इन निर्देशों के अनुपालन में शिथिलता बरती जाती है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए।

<u>संलग्नकः यथोपरि।</u>

भवदीय

(राजीव कृष्णा)

1. समस्त पुलिस आयुक्त,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
   प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

<u>प्रतिलिपि-निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-</u>

1-अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उत्तर प्रदेश।
2-अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, उत्तर प्रदेश।
3-समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
4-पुलिस महानिरीक्षक, लोक शिकायत, उत्तर प्रदेश।
5-समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।